

केन्द्रीय मुहर विभाग - 2

हमारा संदर्भ- के मु वि -2/16: 17854

09 12 2024

विषय: IS 17854: 2022 (प्रबलित चावल के उत्पादन हेतु उपकरण— विशिष्टि भाग में संशोधन संख्या 1 का कार्यान्वयन।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि IS 17854 : 2022 में संशोधन संख्या 1 प्रकाशित हो चुकी है I IS 17854 : 2022 में संशोधन संख्या 1 के अनुपालन की अंतिम तिथि 10 मई 2025 है । सभी लाइसेंसधारकों/आवेदकों से आग्रह है कि IS 17854 : 2022 में संशोधन संख्या 1 के अनुपालन की तैयारी आरम्भ करें और 10 मई 2025 तक इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

(हरीश मीना) वैज्ञानिक-सी (के मु वि-2)

प्रमुख (के मु वि-2) सभी लाइसेंस धारकों/ आवेदकों को परिचालित प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/16: 17854 09 12 2024

Subject: Implementation of Amendment No. 1 to Indian Standard 17854:2022 (Equipment for Manufacturer of Fortified Rice — Specification)

This is to inform to all concerned that Amendment No. 1 to IS 17854: 2022 has been published. Last date of implementation of the Amendment No. 1 to IS 17854: 2022 is **10 May 2025**. All licensees/applicants are requested to initiate preparedness for implementation of the Amendment immediately and ensure its implementation by **10 May 2025**

(Harish Meena) Scientist C (CMD-2)

Head (CMD - 2)

Circulated to: All licensees/applicants

Copy to: BIS Branch Offices